सं.ई-25012/03/2018/हिन्दी – 144

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.),सेवाभवन

रामकृष्णपुरम,नईदिल्ली–66

दिनांक: 23 जुलाई,2020

विषय: आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/ दिशा निर्देश- राजभाषा अधिनियम के बारे में।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 11.06.2020 के फा.सं. एमआई/11/2020 समन्वय अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर की प्रति संलग्न करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि शिकायतों का उत्तर देते समय राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। सहूलियत के लिए, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 में उल्लिखित प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार, शिकायत संबंधी उत्तर को द्विभाषी रूप में जारी किया जा सकता है।
2- राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाए।
3- यदि कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में करता है अथवा उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर करता है ,तो उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।
4- यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी विषयों (जिसके अन्तर्गत अनुशासनिक/ प्रशासनिक कार्यवाहियां इत्यादि भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना हिन्दी में चाहता है तो उसे हिन्दी रूपांतर अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

सभी से अनुरोध है कि केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त शिकायतों का निवारण करते समय उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान मे रखा जाय।

भवदीया.

23/7/2020

(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक(रा.भा.)

केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी